आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 46 (प्रति रविवार) इंदौर, 04 अगस्त से 10 अगस्त 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

शाह बोले- 2029 में फिर एनडीए सरकार, मोदी भी आएंगे

विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखे

चंडीगढ़ (एजेंसी)। *गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में कहा कि आईएनडीआईए ब्लॉक चाहे कुछ भी कर ले, 2029 लोकसभा चुनाव में एनडीए की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आईएनडीआईए ब्लॉक एक बार फिर से खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखे।*

शाह ने कहा कि विपक्ष अस्थिरता पैदा करना चाहता है। उन्हें विपक्ष में रहकर काम करने का तरीका सीखना चाहिए। विपक्ष के लोग बार-बार कहते हैं कि हमारी सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा करेगी और 2029 में फिर आएगी।

शाह बोले- मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरा होने से पहले हर घर में स्वच्छ जल पहुंच जाएगा- चंडीगढ़ में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट न्याय सेतु के उद्घाटन और स्मार्ट सिटी मिशन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा- विपक्ष को लगता है कि थोड़ी सफलता से वे चुनाव जीत गए। उन्हें नहीं पता कि तीन चुनावों में कांग्रेस को जितनी सीटें मिलीं, भाजपा को इस चुनाव में उससे ज्यादा सीटें मिली हैं। शाह ने आगे ये भी कहा- मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद से स्मार्ट सिटी पर फोकस रहा है और चंडीगढ़ इस सूची में पहले स्थान पर है। अब तक एक लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। देश के 74 फीसदी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का मिशन पूरा हो चुका है। पानी से होने वाली बीमारियों में काफी कमी आई है।

मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले देश के हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का काम पूरा हो जाएगा। न्याय सेतु परियोजना के महत्व पर शाह ने कहा- इस क्षेत्र के लोगों के लिए 24/7 फिल्टर-साफ पानी की आपूर्ति की जाएगी। यह परियोजना करीब 125 एकड़ में फैली हुई है।

असम में सरकारी नौकरी के लिए वहीं जन्म होना जरूरी, हिमंत सरकार नए कानून बना रही

गोवाहाटी (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने रविवार (4 अगस्त) को तीन बड़े ऐलान किए। पहला यह कि जल्द ही असम सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो असम में में पैदा हुए हैं। दूसरा ये कि लव-जिहाद के मामलों में आरोपी को उम्रकैद की सजा दी जाएगी। तीसरा ऐलान यह कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी निर्णय लिया है। हालांकि सरकार इसे रोक नहीं सकती है, लेकिन खरीद-बिक्री से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना जरूरी कर दिया है। सरमा ने ये बातें बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहीं।

सरकारी नौकरियों के लिए नई डोमिसाइल पॉलिसी पेश करेगी सरकार- सरमा ने बैठक में कहा कि जल्द ही एक नई डोमिसाइल पॉलिसी पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। चुनाव में किए वादे के अनुसार दी गई एक लाख सरकारी नौकरियों में असम के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। पूरी सूची पब्लिश होने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। जुलाई में मुस्लिम मैरिज के लिए नया एक्ट लाने की बात कही थी- सरमा ने 18 जुलाई को घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल ने मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को रद्द करते हुए नए कानून बनाने को मंजूरी दे दी है। असम मंत्रिमंडल ने इसी साल फरवरी में मुस्लिम मैरिज एक्ट को रद्द करने की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा था कि नए कानून से शादी और तलाक के नियमों में समानता आएगी। साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर भी रोक लगेगी।

400 चाइनीज कंपनियों पर जल्द बैन लगा सकती है सरकार

नई दिल्ली। *भारत सरकार एक बार फिर से चीन की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही हैं। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय जल्द ही लगभग 400 चीनी कंपनियों पर एक्शन ले सकता है। मंत्रालय के पास जानकारी आई है कि ये कंपनियां ऑनलाइन जॉब और ऑनलाइन लोन से जुड़े फ्रॉड करने में लिप्त हैं। आशंका है कि इन सभी कंपनियों ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश समेत 17 राज्यों में कई लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार बनाया है।*

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने की थी जांच- सरकारी सूत्रों के हवाले से मनीकंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने मोबाइल स्क्रीन और बैटरी बनाने वाले लगभग 40 चीनी कंपनियों के खिलाफ भी जांच शुरू की है। सूत्रों ने दावा किया है कि लगभग 600 चीनी कंपनियां जांच के दायरे में आई थीं। इनमें से 300 से लेकर 400 कंपनियों का कामकाज संदिग्ध पाया गया है। इन पर कार्रवाई होना लगभग निश्चित हो चुका है। इनमें लोन एप और ऑनलाइन जॉब ऑफर करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं।

डिजिटल लोन के नाम पर खुल रहीं फर्जी कंपनियां- रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डिजिटल लोन देने वाली कंपनियां पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स का पालन नहीं कर रही हैं। इसके चलते कई कस्टमर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। साथ ही इस तरह के लोन देने वाली कंपनियां लोगों का मानसिक शोषण भी करने लगती हैं। इनकी ब्याज दरें भी काफी हाई होती हैं। इन पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से यह जांच शुरू की गई थी। इसी तरह फर्जी जॉब ऑफर देकर भी लोगों को फंसाया जा रहा है।

3 महीने में कार्रवाई संभव- रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से कई कंपनियों के डायरेक्टर भारतीय हैं। लेकिन, इनके बैंक अकाउंट चीनी हैं। साथ ही इनमें कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं हैं। कई मामलों में कंपनियों का पता भी गलत निकला है। कुछ केसों में इनवेस्टमेंट किसी और नाम से किया गया जबकि कंपनी कुछ और ही बिजनेस करती पाई गई। इससे फाइनेंशियल फ्रॉड करना बहुत आसान हो जाता है। कंपनी एक्ट के अनुसार, इन कंपनियों पर कार्रवाई तीन महीने के अंदर की जा सकती है।

वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा

केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी, कैबिनेट की मंजूरी मिली

नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार इसी सत्र में एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है।

सूत्रों को मुताबिक शुक्रवार (2 अगस्त) को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। संसद का मानसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है।

ओवैसी बोले- भाजपा हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है- वक्फ एक्फ में संशोधन की अटकलों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जब संसद सत्र चल रहा है, तो केंद्र सरकार संसद की सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम कर रही है और इसकी जानकारी संसद को देने की बजाय मीडिया को दे रही है।

ओवैसी ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर मीडिया में जो भी कहा जा रहा है, उससे यह पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है और उसमें दखल देना चाहती है। यह धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। आगे उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह कि भाजपा हमेशा से इस बोर्ड और वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ रही है। उनका हिंदुत्व का एजेंडा है। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में बदलाव करना चाहते हैं, तो इससे प्रशासनिक स्तर पर अव्यवस्था होगी, वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी खत्म होगी और अगर सरकार वक्फ बोर्ड पर अपना कंट्रोल बढ़ाती है तो वक्फ की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा।

संपादकीय

न्यायपालिका के विश्वसनीयता की कलई खोली स्वयं मुख्य न्यायाधिपति ने

भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय न्याय व्यवस्था की कलई स्वयं खोलकर रख दी है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने तथा स्पेशल लोक अदालत आयोजन के समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में कहा, कि लोग न्याय प्रक्रिया से तंग आ जाते हैं। वह किसी तरह से सेटलमेंट करके न्याय प्रक्रिया से छुटकारा चाहते हैं। भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली दंडित करने जैसी है। उन्होंने स्वीकार किया, कि यह सभी जजों के लिए चिंता का विषय है। मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा- हम बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। यह बात वह इसके पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया को लेकर आमजनता के बीच यह धारणा बनती चली जा रही है कि न्यायालय में केवल सक्षम लोगों को ही न्याय मिल सकता है। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के लिए न्याय के नाम पर अन्याय ही किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका की साख में तेजी के साथ गिरावट आई है। एक जमाना था जब न्यायाधीशों को लोग भगवान के रूप में देखते थे। न्यायालय से जो न्याय मिलता था, उसमें भले विलंब होता था लेकिन न्याय तो मिलता था। पिछले कुछ वर्षों में न्याय मिलना बंद हो गया है। न्यायालय जनता के लिए नहीं अब सरकारों के लिए काम कर रही हैं। यह स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तर्ज पर शक्तियों का बंटवारा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में किया था। तीनों के ऊपर एक-दूसरे का अंकुश था। न्यायपालिका को संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार मिले हैं। वह विधायिका और कार्यपालिका के किसी भी कार्य की समीक्षा कर सकती है। किसी भी संवैधानिक संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की और संविधान की रक्षा करने का दायित्व संविधान ने न्यायपालिका को दिया है। न्यायपालिका में जो प्रकरण विवाद के रूप में लंबित हैं, 70 फ़ीसदी मामलों में शासन-प्रशासन और सरकार प्रतिवादी है। सरकार कानून बनाती है, लेकिन उन कानूनो का मनमाने ढंग से उपयोग करती है। सत्ता और प्रशासन में बैठे हुए लोग नियम और कानून की गलत व्याख्या करते हुए आम नागरिकों पर कार्यवाही कर देते हैं। जब न्याय के लिए वह न्यायालय में जाता है तो न्यायालयों में सुनवाई कई वर्षों तक नहीं हो पाती है। प्रशासन और शासन अपना जवाब ही प्रस्तुत नहीं करता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का यह खेल पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा हो गया है। आरोप लगते हैं कि ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के न्यायाधीश सरकार के प्रति सहानुभूति रखते हुए मामलों की सुनवाई करते हुए नजर आते हैं। अब तो सरकार के खिलाफ निर्णय देने की स्थिति में न्यायपालिका के जज दूर-दूर तक हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ऐसी न्यायपालिका को लेकर यदि आम आदमी इस न्याय प्रक्रिया से भागकर सत्ता में बैठे लोगों और गुंडे बदमाशों के पास जाकर न्याय पाने की कोशिश कर रहा है। यदि वहां से भी न्याय नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में अब खुद न्याय पाने के लिए अपराध की दुनिया में प्रवेश करने लगा है। अपराध नहीं कर पता है तो आत्महत्या तो कर ही लेता है।

न्यायपालिका के 75 साल का इतिहास यदि मुख्य न्यायाधिपति देखेंगे और अपने पूर्वजों द्वारा किए गए निर्णय को देखेंगे तो पूर्व में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जिस तरह स्वयं संज्ञान में लेकर आम जनता को राहत प्रदान की जाती थी। संवेदनशील मामलों में न्यायपालिका के इतिहास में जो कार्य किए गए हैं, उसी के कारण जजों को भगवान के रूप में जनता देखती थी। जनता के मन में विश्वास था सरकार प्रशासन पुलिस और सक्षम लोग यदि उसके साथ अन्याय करेंगे तो उसे न्यायालय से न्याय मिलेगा। यदि पिछले 5 साल के न्यायपालिका के कार्यकाल को मुख्य न्यायाधिपति देखें तो उन्हें खुद यह महसूस होगा कि वर्तमान की जो न्यायपालिका है वह सत्ता से डरी हुई है। न्यायपालिका का एक दौर वह भी था जिसमें न्यायपालिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को गवाही देने के लिए कोर्ट में बुला लिया। सुनवाई के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री का चुनाव भी अवैध घोषित कर दिया।

न्याय से आशा एवं अहसास जगाते चन्द्रचूड़

ललित गर्ग

50वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) डी.वाई. चंद्रचूड़ की न्याय प्रणाली विसंगतियों एवं विषमताओं से जुड़ी इस स्वीकारोक्ति ने हर संवेदनशील भारतीय के मन को छुआ कि अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों से तंग आकर लोग बस समझौता करना चाहते हैं। 'न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है' वाली इस बात को सभी महसूस करते हैं लेकिन न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर आसीन मुख्य न्यायाधीश की स्वीकारोक्ति के गहरे निहितार्थ हैं। 'न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी राज्य व्यवस्था के व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है।' लेकिन प्रधान न्यायाधीश के अनुसार लोग अदालतों में मुकदमों के लंबे खिंचने से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि किसी तरह समझौता करके पिंड छुड़ाना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या करने जा रहा है, जिससे लोग न्याय प्रक्रिया से हताश-निराश होकर समझौता करने के लिए बाध्य न हों? दुर्भाग्य से यह प्रश्न दशकों से अनुत्तरित है। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने त्रस्त करने वाली न्याय प्रक्रिया को लेकर यह भी कहा कि यह स्थिति हम न्यायाधीशों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन यदि इस समस्या का निदान नहीं होता तो फिर एक कटु सच्चाई बताने का क्या लाभ? जस्टिस चंद्रचूड़ ने काफी सधा हुआ बयान दिया है तो न्याय प्रणाली की कमियों को दूर करने के रास्ते उद्घाटित होने ही चाहिए।

निश्चित ही डी.वाई. चंद्रचूड न्याय-प्रक्रिया की कमियों एवं मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं तो उनमें सुधार के लिये जागरूक दिखाई दिये हैं। निश्चित ही उनसे न्यायपालिका में छाये अंधेरे सायों में सुधार रूपी उम्मीद की किरणें दिखाई देती रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जहां वे पहले ही कई महत्त्वपूर्ण फैसलों के कारण चर्चा में रहे हैं वहीं अपनी बेबाक एवं सुधारमूलक टिप्पणियों से आम जनता की सराहना के पात्र बनते रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश के रूप में उन्होंने देश की न्यायपालिका के आमूल-चूल स्वरूप में परिवर्तन पर खुलकर जो विचार रखे हैं वे साहसिक एवं दूरगामी सोच से जुड़े होने के साथ आम लोगों की धारणा से मेल खाते हैं। नया भारत बनाने एवं सशक्त भारत बनाने के लिये न्यायिक प्रक्रिया में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होनी भी चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने स्वीकारा है कि कानून की इन स्थितियों में किसी तरह का समझौता समाज में पहले से व्याप्त असमानता को ही दर्शाता है। उन्होंने वादों के शीघ्र निपटान में लोक अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। निस्संदेह, गाहे-बगाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका द्वारा न्याय मिलने में होने वाली देरी को लेकर चिंता जरूर जतायी जाती है, लेकिन इस जटिल समस्या के समाधान की दिशा में बदलावकारी प्रयास होते नजर नहीं आते। जिसके चलते तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता ही रहता है। न्याय के इंतजार में कई-कई पीढ़ियां अदालतों के चक्कर काटती रह जाती हैं। देश में शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में मुकदमों का अंबार निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के लिये असहज एवं चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगभग 80 हजार है। उच्च न्यायालयों में इनकी संख्या 62 लाख के करीब है और निचली अदालतों में करीब साढ़े चार करोड़। इसका अर्थ है कि लगभग पांच करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं। इनमें से अनेक मामले ऐसे हैं, जो दशकों से लंबित हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट में दशकों पुराने कई मामले लंबित हैं। देश में तीनों स्तरों पर लंबित मामले न्यायिक व्यवस्था के लिये एक गंभीर चुनौती है। आजादी के अमृत महोत्सव की चौखट पार कर चुके देश की इस त्रासद न्याय व्यवस्था के बाबत देश के नीति-नियंताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

निश्चित ही भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के अनुपात में पर्याप्त न्यायाधीशों व न्यायालयों की उपलब्धता नहीं है। निश्चित रूप से न्याय का मतलब न्याय मिलने जैसा होना चाहिए। न्याय समाज में महसूस भी होना चाहिए। न्याय त्वरित गति से होता हुआ भी दिखना चाहिए। देश में न्याय की प्रक्रिया सहज व सरल तथा आम आदमी की पहुंच वाली होनी चाहिए। न्याय-व्यवस्था जिसके द्वारा न्यायपालिकाएं अपने कार्य-संचालन करती है वह अत्यंत महंगी, अतिविलंबकारी और अप्रत्याशित निर्णय देने वाली है। निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक किसी भी मामले के निपटारे के लिए नियत अवधि और अधिकतम तारीखों की संख्या तय होनी ही चाहिए। जैसाकि अमेरिका में किसी भी मामले के लिये तीन वर्ष की अवधि निश्चित है। लेकिन भारत में मामले 20-30 साल चलना साधारण बात है। तकनीक का प्रयोग बढ़ाने और पुलिस द्वारा की जाने वाली विवेचना में भी सुधार जरूरी है। एक सक्षम न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक देशों की तरह भारत की एक अत्यंत शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका केवल न्याय देने का ही काम नहीं करें, बल्कि सरकार की कमियों पर नजर रखना एवं उसे चेताना भी उसका दायित्व है।

न्याय व्यवस्था अभी तक औपनिवेशिक शिकंजे में जकड़ी हुई है। उच्चतर न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है तो अधिकांश निचली अदालतों की कार्रवाई और पुलिस विवेचना की भाषा उर्दू है। वह आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ती। समय आ गया है कि यह सब आम आदमी की भाषा में हों। राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायिक प्रक्रिया की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इस दिशा में कुछ प्रयास हुए भी हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जिससे तारीख पर तारीख का सिलसिला थम सके। उम्मीद की जा रही है कि हाल ही में लागू हुए तीन नये आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद स्थिति में सुधार हो सकेगा। केंद्र सरकार भी कहती रही है कि नये कानूनों का मकसद लोगों को सजा देने के बजाय न्याय दिलाने पर केंद्रित है। विश्वास किया जाना चाहिए कि इन प्रयासों से मुकदमों के निस्तारण में गति आएगी। देश की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि दशकों से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो। जिससे न्यायिक प्रक्रिया से हताश-निराश लोग समझौता करने को बाध्य न हों। विश्वास किया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश की चिंता के बाद न्यायिक प्रक्रिया को सरल-सुगम बनाने के लिये अभिनव पहल हो सकेगी। जिससे आम लोगों की समय पर न्याय मिलने की आस पूरी हो सकेगी। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि सरकारें मुकदमेबाजी से बाज आएं, क्योंकि सबसे बड़ी मुकदमेबाज तो वे खुद हैं। नये तीन कानूनों के बाद मुकदमों की सुनवाई द्रुत गति से होगी, लेकिन देखना यह है कि ऐसा हो पाता है या नहीं? प्रश्न यह भी है कि आखिर करोड़ों लंबित मामलों का क्या होगा? ये वे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर देश की जनता को चाहिए। जनता समस्याओं का उल्लेख नहीं, बल्कि उनका समाधान चाहती है।

इससे इनकार नहीं कि अपने देश में आबादी के अनुपात में न्यायालयों और न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं है और यह संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक समस्त न्यायालयों को दो पालियों में चलाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। नए न्यायालय भी स्थापित किए जाने चाहिए। न केवल न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए, बल्कि जनसंख्या और लंबित मामलों का संज्ञान लेते हुए न्यायिक कर्मियों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ के ताजे वक्तव्यों में ऐसे ही सुधार को अपनाने के संकेत मिल रहे हैं, जो स्वागतयोग्य होने के साथ सराहनीय भी है। भारत को अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति और अपने गौरवपूर्ण इतिहास बोध के अनुसार एक वैकल्पिक न्याय तंत्र भी स्थापित करना चाहिए, किंतु जब तक यह नहीं होता वर्तमान व्यवस्था में ही कुछ आवश्यक सुधार करके हमें इसे समसामयिक, तीक्ष्ण, समयबद्ध और उपयोगी बनाए रखना चाहिए। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिये। भारत की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण होना चाहिए।

ये कैसा विकास? : ब्रिज के लिए पंद्रह से ज्यादा हरेभरे पेड़ों को काटा

इन्दौर। इंदौर ने हाल ही में एक साथ 12 लाख पौधे रोपे जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, लेकिन हरियाली लगातार कम हो रही है। जो पेड़ वर्षों में फल-फूल कर बड़े हुए, उन्हें विकास में बाधा मानकर तोड़ा जा रहा है। हरियाली अमावस्या पर रविवार को इंदौर के पुराने एबी रोड पर स्थित सत्यसांई चौराहे के समीप हरे-भरे पंद्रह पेड़ काट दिए गए। यहां मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम छह लेन ब्रिज बना रहा है। इसकी जद में आ रहे पेड़ों को काटने का काम शुरू हुआ है। पेड़ों को काटने की अनुमति नगर निगम ने ही दी थी।

10 साल पहले लगाए थे पौधे-10 साल पहले बीआरटीएस निर्माण के समय पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप कदम, अशोक, बादाम के पौधे लगाए गए थे, जो काफी बड़े हो गए थे। इन पेड़ों को रविवार को काट दिया गया। ग्रीन बेल्ट से हरियाली गायब होने के बाद रहवासियों को वह हिस्सा सूना लग रहा है। उनका कहना था कि अफसरों को पहले प्लान कर पेड़ लगाना चाहिए, ताकि बड़े होने पर उन्हें काटने की नौबत न आए।

साल भर में 4000 से ज्यादा पेड़ काटे-इस साल इंदौर में 4000 से ज्यादा पेड़ सड़कों के आसपास से हटाए गए। निजी परिसरों से हटाए गए पेड़ों की संख्या हजारों में है। इंदौर के विजय नगर चौराहा, एमओजी लाइन, रामबाग, एमआर-10, खजराना क्षेत्र से इस साल चार हजार से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। अब हुकमचंद मिल परिसर से भी हजारों पेड़ हटाने की तैयारी हो रही है। शहर में इस साल जो पौधे लगे हैं उन्हें हरा भरा होने में काफी समय लगेगा, लेकिन अभी हरियाली कम हो रही है। शहर के मास्टर प्लान में हरियाली का प्रतिशत 14 है, लेकिन वास्तविकता में आठ प्रतिशत हरियाली है। ग्रीन बेल्ट के कई हिस्सों में अवैध बसाहट हो चुकी है।

आत्मनिर्भर नगर निगम और समग्र विकास के 2 वर्ष पूर्ण

इन्दौर। आत्मनिर्भर नगर निगम और समग्र विकास के 2 वर्ष पूर्ण पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में 5 अगस्त 2024 को इंदौर की समस्त विधानसभा अंतर्गत 200 से अधिक विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण व शुभारम्भ किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद, समस्त विधायकगण, सभापति, समस्त महापौर परिषद सदस्य, पार्षदगण व अन्य उपस्थित रहेगे।

करदाताओं हेतु सुनहरा अवसर-महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देशन में शहर के जलकरदाताओं के खाते में वर्ष 2022-23 तक की दर्ज बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर शेष बकाया राशि का समयोजन कर खातों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है, इस हेतु शहर के 100 से

अधिक स्थानो पर 5 से 24 अगस्त तक जलकर खातों का नियमितिकरण अभियान चलाया जाएगा।

ट्रैफिक मित्र अभियान - इसके साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इदौर में यातायात प्रबंधन बेहतर बनाने के उद्देश्य से 5 अगस्त से ट्रैफिक मित्र अभियान बॉस्केटबॉल से प्रारम्भ किया जा रहा है, इस महाअभियान के तहत 1 हजार से अधिक स्टूडेंट, डॉक्टर, वकील, समाजसेवी और पत्रकार प्रत्येक शनिवार और रविवार को शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात संभालेंगे।

केन्द्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा

पीथमपुर प्रदेश का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, यहां नहीं जले विषैला कचरा

इन्दौर। इंदौर से 40 कि.मी. दूर स्थित धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के तारापुर गांव में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने और दफनाने का विरोध शुरू हो गया है। धार से सांसद और केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर भी कचरे का निपटान पीथमपुर में करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि यूनियन कार्बाइड का विषैला कचरा पीथमपुर में नहीं जलाया जाना चाहिए। श्रीमती ठाकुर का कहना है कि पीथमपुर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया है। रोजगार की तलाश में यहां दूसरे प्रदेशों से यहां हजारों लोग आकर बसे है। यहां विषैले कचरे का निपटान नहीं होना चाहिए। इससे काफी नुकसान होगा। मंत्री ठाकुर ने कहा कि 16 साल पहले पीथमपुर के तारापुर गांव में यूनियन कार्बाइड का 40 टन कचरा दबाया गया। उस कारण भू-जल प्रदूषित हो गया। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निपटान क्षेत्र के किसी वीरान हिस्से में करना चाहिए, जहां दूर-दूर तक आबादी क्षेत्र न हो।

अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने की अपील

इन्दौर। मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं में इंदौर जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति इंदौर के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना में 199 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के तहत 1 लाख से 50 लाख रुपये तक उद्योग परियोजनाओं के लिये एवं एक लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतू ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिये। न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। योजना में वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित शेष ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। इसी तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 724 का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत 10 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतू ऋण दिया जाता है। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष तथा आयकर दाता न हो। वित्तीय सहायता-ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। सावित्री बाई फूले स्व सहायता समूह योजना अन्तर्गत जिले को 22 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना में 20 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक अनुसूचित जाति की महिलाओं को उद्योग, सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिये प्रदाय किया जाता है। अनुदान राशि प्रति महिला 10 हजार रुपये देय होगी।

बिल्डर एम झवेरी पिता-पुत्र के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज

सिल्वर स्प्रिंग फेज 2 के रहवासियों के परिवाद पर न्यायालय ने दिये आदेश

इन्दौर। सिल्वर स्प्रिंग के बिल्डर मुकेश झवेरी और अभिषेक झवेरी सहित 10 लोगों के खिलाफ जिला न्यायालय इंदौर ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में प्रकरण पंजीबध्द करते हुए सभी को 30 अगस्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज करने के लिए समन जारी किये हैं।

सिल्वर स्प्रिंग फेज 2 के रहवासियों ने आलोक जैन पिता सुदेश जैन के माध्यम से एक परिवाद धारा 452, 323, 352, 506, 341, 294, 34 और 120बी के अंतर्गत प्रस्तुत किया था।न्यायाधीश राहुल डोंगरे की कोर्ट ने 31 जुलाई को हीरालाल जोशी, सुबोध गुप्ता,अभय कटारे,विकास मल्होत्रा, सत्यम राठौर, ऋषभ विश्वकर्मा, परमजीतसिंह, जितेंद्रसिंह सोलंकी सहित बिल्डर पिता-पुत्र मुकेश झवेरी और अभिषेक झवेरी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। 30 अगस्त को इन सभी को न्यायालय के समक्ष पेश होना है। अधिवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि न्यायालय के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था, इसमें परिवादी आलोक जैन समेत आधा दर्जन रहवासियों के बयान दर्ज करवाए गए थे, इन बयानों व वीडियो और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आपराधिक धाराओं में प्रकरण पंजीबध्द करने के आदेश किये है।

यह है मामला-सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप में मालिकाना हक वाले प्लॉट धारकों जिन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है, इनकी जुलाई 2022 की विशेष आमसभा में बिल्डर की शह पर कई बाहरी गुंडातत्व भी जबरन घुस आए और जानबूझकर आमसभा में मारपीट के उद्देश्य से बहसबाजी,गाली गलौज और विवाद करने लगे थे, इस दौरान परिवादी आलोक जैन के साथ सभी आरोपियों ने मिलकर मारपीट की और छिपाकर लाए गए हथियारों से जान से मारने की धमकी दी और बीच-बचाव में अन्य शेयर होल्डर्स आए तो आरोपीगण वहां से भाग निकले।

तेजाजी नगर थाने पहुंचकर परिवादी ने घटना की जानकारी दी,वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की, इसके बावजूद बिल्डर के दबाव में पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया था। दोबारा 4 अगस्त 2022 को परिवादी और सिल्वर स्प्रिंग्स संघर्ष एवं समन्वय समिति सदस्यों ने थाना तेजाजी नगर समेत आला अधिकारियों को एक शिकायत परिवादी पर हमला करने वालों और बिल्डर के खिलाफ की थी, इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई उल्टा परिवादी और रहवासियों को बिल्डर और उसके सहयोगियों द्वारा लगातार धमकाया जाता रहा ।

रहवासियों की बड़ी जीत

सिल्वर स्प्रिंग्स के बिल्डर पिता-पुत्र मुकेश और अभिषेक झवेरी रसूखदार होने के साथ साथ राजनीतिक पैठ रखने वाले बिल्डर है। यही वजह है कि सैकडों शिकायतें होने के बावजूद इनके खिलाफ आज दिनांक तक पुलिस ने कोई प्रकरण पंजीबध्द नहीं किया है। रहवासी क्षेत्र में जहां एक ओर बिल्डर ने मनमानी करते हुए शराब परोसने के क्लब शुरू किये, बिल्डिंग की छतों पर मोबाइल टावर लगवा दिये, नाले की जमीनों पर कब्जा करके प्लॉट बेच दिये यही नहीं कुछ बेसमेंट में सुपर मार्केट भी बनवा रखे हैं।

बायपास रोड की सबसे बड़ी बसाहट वाली इस टाऊनशिप में बिल्डर डेवलपर एम झवेरी समूह ने निर्माण पश्चात भी छल बलपूर्वक अवैध अधिपत्य बनाए रखा है । घोषित एकीकृत टाऊनशिप को अनेक हिस्सों में बांटकर बिल्डर ने रहवासियों के साझा हित की सैकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की सार्वजनिक / शासकीय धनसंपदा पर अवैध कब्जा कर रखा है ।

सभी त्यौहार उत्साह और आनंद के साथ मनाए जायेंगे: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य निरंतर जारी रहेगा। प्रदेश में महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान निरंतर जारी रहेगा। महिलाएं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों एवं स्थानीय निकायों आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपना सशक्त नेतृत्व प्रदान करेगी। आगामी 10 अगस्त को लाड़ली बहनों के खातों में 1250 की राशि के अतिरिक्त 250 रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। शुजालपुर अनुविभाग के ग्राम सेमलीचाचा का नाम अब सेमलीधाम होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज शाजापुर जिले के सेमलीचाचा स्थित हाटकेश्वर धाम में आयोजित रक्षाबंधन पर्व और भागवत कथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहें थे। उन्होंने भगवान हाटकेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का लाडली बहनों द्वारा पुष्पवर्षा कर स्वागत किया और राखी बांधकर उत्साहपूर्वक रक्षाबंधन का पर्व मनाया। लाडली बहनों ने 1250 रुपए की राशि और अतिरिक्त 250 रुपए और 450 रुपए में गैस रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सनातन धर्म में त्योहारों की परंपरा अद्भुत है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिए गया हैं कि सभी त्यौहार समाज के साथ उत्साह और आनंद के साथ मनाएं जाएंगे। प्रदेश में मकर संक्रांति, गुड़ी पड़वा और गुरु पूर्णिमा का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाएं गए हैं। अंधेरे से प्रकाश की ओर से जाकर हमारे जीवन को सफल बनाने वाले गुरुओं के महत्व को प्रतिपादित करते हुए प्रदेश के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया।

आगामी रक्षाबंधन के पावन पर्व को 1 अगस्त से 10 अगस्त तक मेरे सहित मंत्री विभिन्न जिलों में जाकर लाड़ली बहनों से राखी बंधवाकर धूमधाम से मनाएंगे। उन्होंने कहा कि माता-पिता के बाद सबसे सम्माननीय पद बहनों का है। मैं सभी बहनों को प्रणाम करता हूं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाटकेश्वर धाम के परम पूज्य गुरुजी पण्डित श्री कमलकिशोर नागर अपने मुखारविंद से परमात्मा के साक्षात्कार कराने के साथ अपने वचनों से सामाजिक समरसता का भी संदेश दे रहे हैं। गुरूजी द्वारा भगवान की भक्ति के साथ नकली आडंबरों से बचने की भी शिक्षा दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान भाई अपनी भूमि के महत्व को समझे और इसका सम्मान करें। अपनी जमा पूंजी को अनावश्यक कार्यों में व्यर्थ खर्च न करें।

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, सांसद श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, विधायक श्री अरूण भीमावद, विधायकगण सहित जनप्रतिनिधि एवं लाड़ली बहने उपस्थित रही।

कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और प्रवक्ता को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

भोपाल। 8 साल पुराने केस में भोपाल की MP - MLA कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को 2 साल की सजा और दोनों ही नेताओं को 11-11 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह सजा 2016 के धरना-प्रदर्शन के मामले में सुनाई है। दोनों नेता NSUI में रहते सीएम हाउस घेराव में शामिल थे। कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान, धनजी गिरी को 2-2 साल की सजा सुनाई है। 2016 में प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौरान NSUI ने सीएम हाउस का घेराव किया था। इस समय पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और विकेक त्रिपाठी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पथराव हुआ था, जिसके बाद विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी समेत आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान तथा धनजी गिरी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।

बैंड बजाने से मना करने पर मध्यप्रदेश में 25 पुलिसकर्मी सस्पेंड, कांग्रेस ने उठाये सवाल

भोपाल।नहीं बजाओगे, बेंड तो हो जाओगे सस्पेंड ! जी हां मध्यप्रदेश में 25 पुलिस कर्मियों को बेंड न बजाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदेश के मंदसौर, रायसेन, खण्डवा, हरदा और सीधी में पदस्थ पुलिस कर्मियों ने 15 अगस्त कार्यक्रम में बेंड बजाने से मना कर दिया। जिसके बाद इन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इन पुलिस कर्मियों का कहना है कि उनकी भर्ती जर्नल ड्यूटी में हुई थी अब वह बेंड बजाएगे तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी। वही अब इस मामले पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस का कहना गई कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है तब यह स्थिति है तो प्रदेश में कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा होगा। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि सरकार पुलिस बल की कमी की बात करती है लेकिन बड़े अधिकारियों के यहां दर्जनों में पुलिसकर्मियों को विभिन्न कामों में लगाया जाता है जो कि अनुचित है।

देशभर के वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी

मप्र की 15 हजार से ज्यादा संपत्तियां होंगी प्रभावित

भोपाल। शहर के वक्फ बोर्ड में जारी व्यवस्थाओं, नियमों, एक्ट और कामकाज के तरीकों में बदलाव की गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद संभवत सोमवार को इस बदलाव पर अंतिम मुहर लग जाएगी। राष्ट्रव्यापी इस बदलाव में मप्र की अरबों रुपये की संपत्ति भी प्रभावित होने वाली है। यहां मौजूद 15 हजार से ज्यादा संपत्तियां इसके असर में आएंगी।

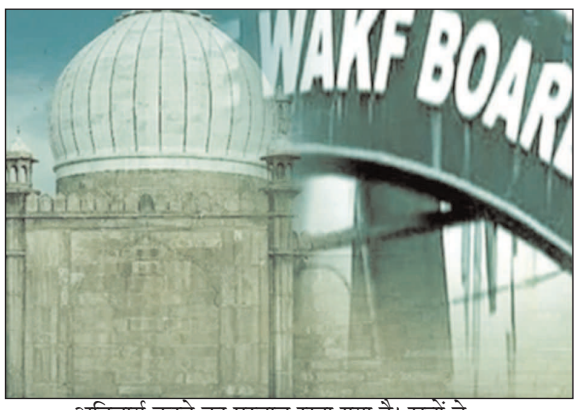

सूत्रों के मुताबिक सरकार अब वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' घोषित करने और उस पर कंट्रोल करने के अधिकारों पर रोक लगाना चाहती है। सूत्रों के अनुसार वक्फ एक्ट में 40 बदलावों पर चर्चा की है। इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने वाले भी शामिल हैं, जो देशभर में लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति को कंट्रोल करते हैं। अनिवार्य होगा सत्यापन एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ एक्ट में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है, उसके अनुसार वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करती है तो उसका वेरीफिकेशन यानी सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। वहीं, जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड और किसी आम व्यक्ति के बीच लड़ाई चल रही है, तो उसमें भी वेरीफिकेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों ने संकेत दिया कि वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए एक विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने ये भी कहा कि संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन के दो प्रावधान, जो वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर रोक लगाएंगे, अधिनियम में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन हैं। देशभर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां, कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं।

लगातार हो रही थी मांग

सूत्रों ने कहा कि इस तरह के कानून की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया और बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदायों के लोगों मौजूदा कानून में बदलाव की कई बार मांग करते रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संशोधन लाने की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव से काफी पहले शुरू हो गई थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ओमान, सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों के कानूनों पर निगाह डालने से पता चलता है कि इनमें से किसी भी देश ने एक संस्था को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं दी हैं। 2013 में यूपीए सरकार के दौरान मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थी, जो वक्फ अधिकारियों, व्यक्तिगत संपत्ति मालिकों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित कई राज्य संस्थाओं के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रही हैं।

बदलाव के मुताबिक काम करना हमारी प्राथमिकता

मप्र वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनव्वर पटेल का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले इस बदलाव को स्वीकार करना और इसके मुताबिक काम करना हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी होते हैं। यह प्रक्रिया भलाई और वक्फ संरक्षण के लिए ही की जा रही है।

मुख्यमंत्री बनने के लिए मोहन यादव के खिलाफ साजिश रच रहे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल : कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को लेकर कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है। सोमवार को एक वीडियो जारी कर उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एमपी में भी मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही है।

बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को निपटाकर उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला खुद सीएम बनना चाहते हैं। एक माह पहले उन्होंने एक पार्टी के बहाने ब्राह्मण विधायकों को बैठक बुलाई थी। बैठक में भाजपा के साथ अन्य दलों के विधायक शामिल थे। विधायक अभय मिश्रा ने सीएम मोहन यादव को एक पत्र भी लिखा है। जिसमें डिप्टी सीएम शुक्ला पर मनमानी और क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर जरूरत से ज्यादा हस्ताक्षेप करने का आरोप लगाते हुए उनकी संवैधानिक शक्तियों पर सवाल उठाए हैं। कहा, डिप्टी सीएम की हैसियत एक मंत्री से ज्यादा नहीं है, लेकिन वह सीएम की तर्ज पर काम कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव को लिखे पत्र में अभय मिश्रा ने बताया कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला हमारे क्षेत्र में विकास कार्य अटका रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में वह इसी तरह अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। जो कि पद का दुरुपयोग है। अभय मिश्रा ने कहा, मेरी नॉलेज में इनका पद एक कैबिनेट मंत्री का है। लेकिन, अधिकारियों को निलंबन और तबादले की धमकी देते हैं। वह मुख्यमंत्री और श्रीनिवास तिवारी बनने का प्रयास करते हैं। तिवारी जी उप मुख्यमंत्री नहीं थे। उन्हें भगवान के घर से हुनर मिला था। अभय मिश्रा ने लिखा, डिप्टी सीएम की आत्मा सेमरिया क्षेत्र में भटकती है। यहां स्थित गौशाला में पहले भी जमीन का बड़ा खेल हुआ है। जेपी, अल्ट्राटेक और टाटा ग्रुप समेत कई संस्थाओं से 20-25 करोड डोनेशन मिलता है। 40 रुपए प्रति गाय के हिसाब से आठ करोड तो शासन से भी मिलता है। पहले गौशाला का संचालन ट्रस्ट करता था। अब इनके परिवार के लोग मेंबर हैं।

अभय मिश्रा ने रिंग रोड के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कहा, साउथ के कॉन्ट्रेक्टर ने 180 करोड का काम लिया, लेकिन उसे काम नहीं करने दिया। जबरन रेट टू रेट पेटी कांट्रेक्ट ले लिया। रेट के बाद भी आठ करोड एक्ट्रा लिए। उसने चार माह बाद एक्सटेंशन लगाया तो एनएचएआई से टर्मिनेट करा दिया। जिसके बाद भांजे ने सुसाइड कर ली। बैंक गारंटी भी जब्त हो गई। बीसों करोड़ के बिल पासा नहीं होने दिए। 50 प्रतिशत काम होने के बाद 180 करोड़ का टेंडर 250 करोड़ का कराया।

लोकपथ ऐप में प्राप्त शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में करे, अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई : मंत्री सिंह

भोपाल, निप्र। लोकनिर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने आज मंत्रालय में लोकपथ ऐप की विस्तृत समीक्षा बैठक की।इस अवसर पर मंत्री श्री सिंह ने लोकपथ ऐप में प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण की स्थिति पर जानकारी प्राप्त की। लोकपथ ऐप में अब तक 1846 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 1609 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। मंत्री श्री राकेश सिंह ने समीक्षा के दौरान लोकपथ ऐप में अधिक समय से लंबित शिकायतों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। लंबित शिकायतों में ईई सीधी एम.के. परते के स्तर पर 13, ईई खरगोन विजय सिंह पवार के स्तर पर 7 और ईई बुरहानपुर पद्म रेखा श्रीवास्तव के स्तर पर 5 शिकायतें अधिक समय से लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, आरडीसी डिवीज़नल मैनेजर सोनल सिन्हा के स्तर पर भी शिकायत लंबित पाई गई। मंत्री श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर सख्त लहजे में 24 घंटे के भीतर सभी लंबित शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर इस अवधि में शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मंत्री श्री सिंह ने बालाघाट में आरडीसी सब इंजीनियर दीपक आडे द्वारा लोकपथ ऐप में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करने पर बधाई दी और उन्हें अच्छे कार्य को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का त्वरित निराकरण आम जनता की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्री श्री सिंह ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि लोकपथ ऐप में प्राप्त शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निराकरण उनकी प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बहनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार कृत-संकल्पित : मंत्री सुश्री भूरिया

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर में लाडली बहनों के लिए रक्षाबन्धन एवं श्रावण उत्सव की तर्ज पर आभार सह उपहार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी मे आज हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के मुख्य अतिथ्य में पीएम श्री शासकीय कन्या उ.मा. विद्यालय झाबुआ के परिसर मे आभार सह उपहार कार्यक्रम हुआ। मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बताया कि महिलाओं को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिमाह उन्हें 1250 रुपये की राशि दे रही है। इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर 10 तारीख को लाडली बहनों के खातों में राशि अंतरित की जाएगी। साथ ही उन्हें उपहार स्वरूप 250 रुपये की अलग से राशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि भाई-बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन के अवसर पर यह मुख्यमंत्री का बहनों के लिए उपहार है। प्रदेश सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है, अब बहनो से भी निवेदन है कि वे भी अपनी दैनिक जीवन में कुछ समय स्वयं के लिए निकाले, जीवन में किस राह मे आगे बढ़ना चाहती है वह तय करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करे ।अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे एवं स्वयं की पहचान बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। कार्यक्रम में स्थानीय भीली नृत्य के माध्यम से सांस्कृतिक छटा बिखेरी गई।

सागर हादसे में आनन फानन में की गई कार्यवाही से मुख्यमंत्री की अक्षमता उजागर :संगीता शर्मा

भोपाल, निप्र। कांग्रेस ने सागर हादसे में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को हटाए जाने और रायसेन के एसपी विकास सहवाल को पदस्थ करने को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को यह होश ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डा मोहन यादव की अक्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके मातहत अफसरों ने उनसे उस अधिकारी का तबादला करवा दिया जो पहले से ही अवकाश पर है । सुश्री शर्मा ने कहा कि सागर एसपी अभिषेक तिवारी पिछले 15 दिन से विदेश में छुट्टी मना रहे हैं। वे पिछले 5 महीने से तबादला चाह रहे थे। केंद्र में प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी होने के बावजूद डॉ. मोहन यादव सरकार उन्हें रिलीव नहीं कर रही थी। वहीं जिम्मेदार प्रभारी एसपी डा संजीव उईके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुश्री शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि रायसेन के जिस एसपी विकास नरवाल को पदस्थ किया है।

उनके रायसेन में 3 साल पूरे हो रहे हैं तो उनको भी वहां से हटना ही पड़ता। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस बदलाव से राज्य की भाजपा सरकार और उसके मुख्यमंत्री की मानसिकता पता चलती है कि मासूमों की मौत पर भी भाजपा सरकार संवेदनशील नहीं है और कार्यवाही का मात्र दिखावा किया है।

कौन समझेगा उन माताओं का दर्द

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा ने कहा कि मानवजनित इस घोर लापरवाही वाले हादसे का शिकार हुए उन मासूमों की माताओं का दर्द कौन समझ सकता है जिनके चिराग अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर ऐसे हादसों पर जिम्मेदार और लापरवाह अफसरों पर सरकार ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती है। सुश्री शर्मा ने कहा कि सरकार हर बार हादसे के बाद सिर्फ मुआवजा राशि देकर जिम्मेदारी से किनारा कर लेती है।

मंत्री सारंग ने किया शा. नवीन उ. मा. विद्यालय सेमरा का औचक निरीक्षण

विद्यालय प्रांगण में निर्माण कार्य में अनियमितता पर पीआईयू ईई से नाराजगी व्यक्त

भोपाल, निप्र। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को नरेला विधानसभा अंतर्गत शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय के प्रांगण में निर्माण कार्य में अनियमित्ता मिलने पर पीआईयू के कार्यपालन यंत्री से नाराजगी व्यक्त की। मंत्री श्री सारंग भोपाल में भारी वर्षा के कारण सेमरा स्थित शासकीय स्कूल प्रांगण में जलभराव की शिकायत मिलने पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री श्री सारंग ने नरेला विधानसभा के सभी शासकीय विद्यालयों के पुराने भवनों के उन्नयन के लिये मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कक्षा में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की

तथा क्लासरूम में शिक्षकों द्वारा पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री सारंग ने विद्यालय भवन, क्लासरूम, लेब आदि उपलब्ध सुविधाओं का भी अवलोकन किया। मंत्री श्री सारंग ने विद्यार्थियों से संवाद कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। इस पर विद्यार्थियों ने मंत्री श्री सारंग के समक्ष संतुष्टि व्यक्त की। मंत्री श्री सारंग क्लासरूम भी पहुंचे। यहां उन्होंने शिक्षकों द्वारा पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त की।

नरेला विधानसभा अंतर्गत सभी शासकीय विद्यालयों का होगा उन्नयन- मंत्री श्री सारंग ने बताया कि नरेला विधानसभा अंतर्गत सभी शासकीय विद्यालयों का एक वर्ष के भीतर उन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये स्कूल शिक्षा विभाग, पीआईयू, नगर निगम द्वारा समन्वय करते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना का विस्तार करते हुए शासकीय विद्यालयों के भवनों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी, जिससे शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुविधाओं में भी विस्तार होगा।

पीआईयू के निर्माण कार्य में अनियमितता मिलने पर जताई नाराजगी-मंत्री सारंग ने सेमरा शासकीय विद्यालय प्रांगण में विगत दिनों अतिवर्षा के कारण जलभराव की स्थिति निर्मित होने पर पूरे भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि शाला प्रांगण में पीआईयू डिविजन क्रमांक-1 द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है तथा निर्माण कार्य में अनियमितता के कारण जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है। मंत्री श्री सारंग ने तत्काल कार्यपालन यंत्री को कॉल कर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण कार्य को निश्चित समयावधि के भीतर पूरा करने के साथ ही नरेला विधानसभा के सभी शासकीय स्कूलों के पुराने भवनों के उन्नयन के लिये मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिये।

'उलझ' के क्लाइमेक्स सीन में पहली बार ये काम करती नजर आएंगी जान्हवी कपूर

जान्हवी कपूर की नई फिल्म उलझ के रिलीज होने में बस एक हफ्ते बाकी हैं, ऐसे में वह इसके प्रमोशन में जोरोशोरो से लगी हुई हैं। बता दें कि एक्ट्रेस इस दौरान कई इंटरव्यू दे रही हैं और हाल ही में उन्होंने क्लाइमेक्स सीन में अपने पहले मोनोलॉग के बारे में बात की है। अपनी अनोखे प्रेसेंस के लिए मशहूर जान्हवी ने बताया है कि उलझन में एक पावरफुल मोनोलॉग है, जो दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ेगा। सुधांशु सरिया द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म जान्हवी की स्टार पावर और ट्रेलर में दिखाए गए दिलचस्प सीन्स की वजह से पहले से ही सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। एक बड़े पोर्टल के साथ मास्टर क्लास में, डायरेक्टर्स के साथ अपने काम के लिए मशहूर जान्हवी ने अपने पसंदीदा सीन्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा, क्लाइमेक्स दो पार्ट में बटा है। एक एक्शन वाला और दूसरा मोनोलॉग वाला। उन्होंने आगे कहा, यह मोनोलॉग बहुत ही पर्सनल है और जब आप इसे देखेंगे और सुनेंगे, तो आपको एहसास होगा कि मैं सुहाना के जरिए से अपने जीवन के बारे में क्या कहना चाह रही हूं। मुझे इन दोनों सीन्स को करने में बहुत मज़ा आया।

कृति सैनन को सिगरेट पीता देख लोगों को याद आया ऐक्ट्रेस की मां का ट्वीट

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन हाल ही में ग्रीस में अपने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ समय बिताने के बाद चर्चा में आई थीं। वीडियो में, एक्ट्रेस को कथित तौर पर सिगरेट पीते हुए देखा गया था और इसने नेटिजन्स को उस समय की याद दिला दी जब उनकी मां ने दावा किया था कि वह एंटी स्मोकिंग हैं। 2017 में, बरेली की बर्फी के सेट से कृति की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी जिसमें वह सिगरेट पीती हुई दिखाई दे रही थीं। जब नेटिजन्स ने उनसे सवाल किए थे, तो उनके फैन ने साफ किया था कि यह उनकी फिल्म का एक सीन था। तब उनकी मां ने भी ट्वीट किया था कि कृति असल जिंदगी में धूम्रपान के सख्त खिलाफ हैं। कृति की मां गीता सैनन ने ट्वीट किया था, वह हमेशा से स्मोकिंग के खिलाफ रही हैं और अपने आस-पास के लोगों से स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहती थीं। और अब, जब कृति का नया ग्रीस का वीडियो वायरल हुआ, तो फैंस को हैरानी हुई कि आखिर क्या बदल गया और क्या उन्होंने पहले झूठ बोला था। कथित तौर पर यह वीडियो कृति के हाल ही में ग्रीस में घूमने के दौरान का है, जहां उन्हें उनके कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ देखा गया था। एक्ट्रेस को उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़े कबीर और उनके दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। कृति और कबीर ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है और एक्ट्रेस ने भी हाल ही में अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर कमेंट करने से भी परहेज किया है।

कटरीना को अपना करियर बर्बाद होने की जिम्मेदार मानती हैं जरीन खान

जरीन खान बॉलीवुड की इन अदाकाराओं में से एक हैं जिनको कटरीना कैफ की हमशक्ल बताया जाता है। सालों पहले कटरीना की हमशक्ल बनकर जरीन खान ने बॉलीवुड में कदम रखा था। सालों तक मेहनत करने के बाद भी जरीन खान बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाई हैं। इस बात का अफसोस जरीन खान को आज भी है। जरीन खान के पास फिलहाल काम की काफी कमी है। हाल ही में जरीन खान ने खुलासा किया है कि किस तरह से कटरीना कैफ उनके करियर के लिए खतरा साबित हुई हैं। जरीन खान ने इस बार सबको बता दिया है कि उनका करियर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। हाल ही में जरीन खान भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में पहुंची थीं। इस पॉडकास्ट में अपने किरयर के बारे में बात करते हुए भारती सिंह ने कहा, सलमान खान की फिल्म वीर के रिलीज के बाद मेरी जिंदगी बहुत खराब हो गई थी। लोग मुझे फेक कटरीना कैफ के नाम से ट्रोल कर रहे थे। इस फिल्म ने मेरी पूरी जिंदगी बदलकर रख दी थी। रिलीज के शुरुआत में मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी तुलना कैटरीना कैफ से की जा रही है। आगे जरीन खान ने कहा, बाद में मुझे एहसास हुआ कि इस तुलना की वजह से इंडस्ट्री के अंदर चीजें खराब हो रही हैं। उस समय मैं काफी मोटी थी। ऐसे में मेरी तुलना कटरीना कैफ से होना बड़ी बात थी। हालांकि मेरे के स में इसका उल्टा असर हुआ। मैं इंडस्ट्री में एक खोए हुए बच्चे की तरह महसूस कर रही थी। लोगों को लगने लगा था कि सलमान खान की वजह से मुझमे घमंड आ रहा है। आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी आया जब मैं अपने घर से बाहर निकलने से भी डरती थी क्योंकि लोग मेरे कपड़ों पर भद्दे कमेंट्स करते थे। लोगों ने मुझे अजीब अजीब मानों से बुलाना शुरू कर दिया था।

राम चरण की बहन निहारिका ने चैतन्य जेवी संग अपने तलाक पर किया रिएक्ट

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण की कजिन बहन और एक्ट्रेस निहारिका कोनिडेला अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बता दें, बीते साल एक्ट्रेस का चैतन्य जेवी से तलाक हो गया था। अब उन्होंने इस पर खुलकर बात की है।

एक्ट्रेस निहारिका कोनिडेला ने हाल ही में इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से बेहतर जगह पर है। इस पर उन्होंने कहा- वो बादल छंट गया है, फिलहाल मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूं। मैं अच्छी फिल्मों में अभिनय और निर्माण दोनों के लिए उत्सुक हूं। इसके अलावा उनसे जब पूछा कि क्या दोबारा प्यार पाने के लिए सवाल किया तो उन्होंने कहा- मैं सिर्फ खुश रहना चाहती हूं, चाहे वह सिंगल हो या किसी के साथ। मैं प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहती या उसकी खोज में नहीं जाना चाहती। अगर वह होता है, तो होता है। मेरे माता-पिता भी मुझे जगह देते हैं, भले ही वे चाहते हों कि मैं किसी को ढूंढूं, लेकिन वे मुझ पर दबाव नहीं डालते हैं। बता दें, साल 2020 में चैतन्य जेवी और निहारिका कोनिडेला ने शादी की थी। करीब तीन साल बाद इस कपल ने तलाक ले लिया। जुलाई 2023 में एक्ट्रेस ने तलाक की घोषणा करते हुए पोस्ट शेयर किया था। हालांकि, तलाक का कारण अभी तक समाने नहीं आया।

स्टाइलिश दिखने के लिए स्कर्ट के साथ इस तरह के फुटवियर करें कैरी

आज के समय में महिलाएं स्टाइलिश दिखने के लिए शॉर्ट स्कर्ट कैरी करती हैं। छोटी हाइट की महिलाएं खुद को हाइट में बड़ी दिखाने के लिए भी शॉर्ट स्कर्ट पहनना पसंद करती हैं। वर्किंग वुमन से लेकर कॉलेज गोइंग गर्ल शॉर्ट स्कर्ट पहनती हैं। लेकिन शॉर्ट स्कर्ट को कैरी करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। शॉर्ट स्कर्ट में आप अपने आपको यूनिक लुक दे सकती हैं, लेकिन अगर आप स्कर्ट को सही तरीके से कैरी नहीं करती हैं, तो ये आपके लुक को खराब भी कर सकता है। कई महिलाएं शॉर्ट स्कर्ट के साथ किसी भी तरह के फुटवियर पहन लेती हैं।

जो आपके लुक के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। शॉर्ट स्कर्ट के साथ फ्लेट फुटवियर कभी कैरी नहीं करने चाहिए। क्योंकि ये आपके लुक को बिगाड़ देता है। ऐसे में आइए जानते हैं शॉर्ट स्कर्ट के साथ आप किस तरह के फुटवियर और सैंडल पहन सकती हैं।

पेंसिल

स्कर्ट नी लेंथ तक की फिटेड स्कर्ट को पेंसिल स्कर्ट कहते हैं। इस तरह की स्कर्ट न ही लॉन्ग स्कर्ट में आती है, न ही शॉर्ट स्कर्ट में आती है। पेंसिल स्कर्ट के साथ आप कम हील्स की सैंडल पहन सकती है। हर महिला के शू कलेक्शन में एक ब्लैक लो हील्स सैंजल जरूर होनी चाहिए। क्योकिं ये हर तरह के आउटफिट और स्कर्ट के साथ मैच करती है।

शॉर्ट

स्कर्ट किसी पार्टी या क्लब जाने के लिए अगर आप शॉर्ट स्कर्ट पहन रही हैं, तो कूल और स्टनिंग लुक पाने के लिए आप हाई हील्स सैंडल या फिर हाई हील्स बूट्स भी कैरी कर सकती हैं। इससे आपका लुक भी काफी एक्ट्रैक्टिव नजर आता है।

फ्लेयर्ड

स्कर्ट फ्लेयर्ड स्कर्ट के साथ हमेशा आप हाई हील्स ही पहनें। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको स्टनिंग लुक देने में मदद करता है। अगर आप हील्स को अवॉइड करना चाहती हैं, तो प्लेटफार्म सैंडल भी पहन सकती हैं।

ट्यूलिप स्कर्ट

ट्यूलिप स्कर्ट में आपका

फेमिनिन कर्व्स साफ नजर आता है। ऐसे में आप इस तरह की स्कर्ट के साथ ऐसे फुटवियर कैरी करें, जिसमें आपके एंकल्स आसानी से कवर हो जाएं। ट्यूलिप स्कर्ट के साथ आप स्ट्रैप वाली सैंडल भी पहन सकती हैं।ये आपके लुक को यूनिक बनाने में मदद करेगा।

फ्लेट

फुटवियर से बचें शॉर्ट स्कर्ट के साथ हमेशा फ्लेट फुटवियर पहनने से बचें। स्कर्ट के साथ फ्लेट फुटवियर में आप काफी छोटी लगेंगी।

इससे आपके स्कर्ट का लुक भी खराब हो सकता है।

अगस्त में घूमने के लिए बैस्ट हैं ये जगह

अगस्त के महीने में कई छुट्टियां मिल रही हैं। महीने की शुरुआत फ्रेंडशिप डे से हो रही है। उसके बाद 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और महीने के अंत में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए यह बेहतरीन मौके हैं। दोस्ती दिवस पर अपने दोस्तों संग घूम सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं तो वहीं 15 अगस्त के मौके पर भी परिवार और बच्चों संग वक्त बिताया जा सकता है। रक्षाबंधन पर भाई बहन रोड ट्रिप पर जा सकते हैं। अगस्त में मिलने वाली इन छुट्टियों पर दोस्तों या परिवार के साथ घूमने की योजना बनाई जा सकती है। घूमने का अच्छा समय

मिलेगा। सफर पर जाने के लिए अगस्त में कुछ जगहें बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मौसम व मौके के मुताबिक इस महीने में कुछ खास जगहों की ट्रिप की योजना बनाएं।

मनाली

अगस्त के पहले रविवार को मित्रता दिवस है। वीकेंड ट्रिप पर दोस्तों के साथ मनाली जा सकते हैं। यहां कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया जा सकता है। मनाली माल रोड पर खरीदारी के लिए जाने के साथ ही प्राकृतिक नजारों, झरने और झीलों के साथ दोस्तों संग मस्ती का मजा दोगुना हो जाएगा।

चेरापूंजी

अगस्त में सबसे अधिक छुट्टियां 15 अगस्त से पहले वाले वीकेंड पर मिल रही है। 12 अगस्त से 15 अगस्त तक चार दिन की छुट्टी के लिए चेरापूंजी घूमने जा सकते हैं। 14 अगस्त की छुट्टी लेकर मेघालय के चेरापूंजी में मौसम का मजा लिया जा सकता है। यहां पूरे साल बारिश होती है। रोमांचक मानसून ट्रेकिंग और चाय के बागानों का लुत्फ उठा सकते हैं।

माउंट आबू

अगस्त के महीने में राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू के सफर पर जा सकते हैं। इस हिल स्टेशन की सुंदरता और प्राकृतिकता इस मौसम में मन मोहक हो जाती है। यहां जोधपुर के किले, मंदिर और स्थानीय खाने का लुत्फ उठा सकते हैं।

मथुरा-वृंदावन

रक्षाबंधन की एक दिन की छुट्टी पर पूरा परिवार एकत्र हो रहा है तो मथुरा वृंदावन की सैर पर जा सकते हैं। एक-दो दिन की छुट्टी में मथुरा की सैर की जा सकती है। यहां गोकुल धाम, गोवर्धन पर्वत, प्रसिद्ध मंदिरों का सैर बजट में की जा सकती है और शाम में यमुना तट की आरती देखने जा सकते हैं।

दाल से बनाएं ये स्वादिष्ट पकवान

बारिश का मौसम किसे पसंद नहीं होता। अब जब भीषण गर्मी के बाद बारिश का मौसम आ गया है, तो लोग इस मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। लोग घूमने जा रहे हैं, स्वादिष्ट पकवान खा रहे हैं। बरसात का मौसम ऐसा होता है कि तरह-तरह की चीजें खाने का मन करता है, पर बाहर का खाना आपकी तबियत बिगाड़ सकता है। ऐसे में महिलाएं इस मौसम में घर पर ही हर पकवान बनाने की कोशिश करती हैं।

अगर आप बारिश के मौसम में दाल से कुछ बनाना चाहती हैं तो आज के इस लेख में हम आपको कुछ स्वादिष्ट पकवानों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सभी पकवान दाल से बने होंगे तो इसे खाने से आपके परिवार और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इन सभी चीजों को बनाना बेहद आसान होगा, आप आसानी से पकवानों को बनाकर बारिश का लुफ्त उठा सकती हैं।

मूंग दाल का डोसा

अगर आप चाहें तो अपने घरवालों के लिए मूंग डाल का डोसा बना सकती हैं। ये खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है। ये काफी हेल्दी होता है। इसे आप हरे धनिए की चटनी के साथ परोसेंगी तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा।

मूंग दाल का ढोकला

अगर आपको ढोकला पसंद है तो आप मूंग दाल ढोकला बना सकती हैं। ये एक बेहद ही स्वादिष्ट और पौष्टिक ढोकला है जिसे साबुत मूंग, हर्ब्स और कुछ मसालों से बनाया जाता है।

मेदू वड़ा

मेदू वड़ा के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये साउथ की लोकप्रिय और मशहूर डिश है।

इसे आप सांभर, चटनी, दही समेत किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं।

नगर निगम फर्जी बिल घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई

महालक्ष्मी नगर सहित 12 जगहों पर छापेमारी

इंदौर। पिछले दिनों इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों के फर्जी बिल और ड्रेनेज घोटाले को लेकर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी एक्शन में नजर आई। ईडी अधिकारियों ने सोमवार को मामले के दोषियों के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। ऑडिट, अकाउंट्स विभाग के कर्मियों के अलावा नगर निगम ठेकेदारों के 12 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की जानकारी है। इंदौर नगर निगम के फर्जी बिल ड्रेनेज घोटाला मामले में ईडी की टीम ने कई जगह छापामार कार्रवाई की है। इसमें नगर निगम के ठेकेदारों के अलावा अकाउंट्स और ऑडिट विभाग के कर्मियों के यहां छापा मारा गया है। ईडी ने सुखदेव नगर में हरीश श्रीवास्तव, माणिकबाग में प्रो. एहतेशाम खान, अशोका कॉलोनी के सकीना अपार्टमेंट में जाहिद खान, मदीना नगर में मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सिद्दीकी व मोहम्मद जाकिर, आशीष नगर में राहुल वडेरा, रेणु वडेरा, महालक्ष्मी नगर अनिल गर्ग, अम्बिकापुरी में राजकुमार पन्नालाल साल्वी, सुखलिया में उदयसिंह भदोरिया व अन्य पर ईडी के अधिकारियो और कर्मचारियों ने छपा मार कार्यवाही की है। हालांकि ईडी की तरफ से इस छापेमारी को लेकर कोई भी जानकारी सांझा नहीं की गई है लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फर्जी बिल घोटाले, ड्रेनेज घोटाले से जुड़े कई अहम और महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक खातों, ट्रांजेक्शन की जानकारी इन आरोपियों घर से ईडी ने जब्त किए हैं। सुबह ही ईडी की टीमों ने इन आरोपियों के ठिकानों पर दस्तक दी। अधिकारियों ने पूरे घर की सघन तलाशी ली और मामले से जुड़ी फाइलें व दस्तावेज लेकर रवाना हो गए।

दरअसल पिछले कई दिनों से इसी इस मामले को लेकर लगातार जांच कर रही थी और जांच में अहम तथ्य सामने आने के बाद अब ईडी ने इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि ड्रेनेज बिल घोटाले की राशि 100 करोड़ रु. से ज्यादा बताई जा रहा है। इस मामले 8 से ज्यादा ठेकेदारों ने बगैर काम किए फर्जी बिल लगाकर नगर निगम को नुकसान पहुंचाया। बड़ी बात यह है कि घोटाले में ऑडिट और लेखा विभाग के कर्मियों की मिलीभगत मिली है।

इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रारूप तैयार

प्लान को अंतिम रूप देने से पहले चर्चा के लिये कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

इंदौर, नप्र। नगर सहित आसपास के उज्जैन, धार और देवास के क्षेत्रों को मिलाकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लान तैयार ?किया जा रहा है। इस प्लान के प्रारंभिक रूप से तैयार प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले चर्चा के लिये कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में रीजनल प्लान को व्यापक हित में तैयार करने के निर्देश दिये गये।

नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आयोजित हुई इस बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.पी. अहिरवार, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय के संयुक्त संचालक श्री शुभाषीश बेनर्जी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नगर नियोजन से संबंधित शैक्षणिक संस्था की प्रोफेसर श्रीमती ऋतु शर्मा मेहरोत्रा भी उपस्थित रही। बैठक में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा रीजनल प्लान तैयार किये जाने के संबंध में किये गये प्राथमिक अध्ययन का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। बताया गया कि प्रस्तावित इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का कुल क्षेत्रफल 8 हजार 676 वर्ग किलोमीटर हैं। जिसमें इंदौर जिले के अतिरिक्त उज्जैन, धार, देवास जिले के भाग भी सम्मिलित है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया देश के प्राथमिक मेट्रोपॉलिटन एरिया में से एक हैं एवं इंदौर का विकास मेट्रोपॉलिटन दृष्टिकोण से किये जाने की आवश्यकता भी प्रतिपादित की गई। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 4 में मेट्रोपॉलिटन एरिया के गठन के संबंध में कार्यवाही किये जाने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।

25 अगस्त तक नर्मदा लाइन का बिल नहीं भरा तो एफआईआर होगी

इंदौर। 5 अगस्त से 25 अगस्त तक निगम का विशेष अभियान चलेगा और इंदौर में बकाया जलकर चुकाने पर 50श की छूट मिलेगी। नगर निगम ने इंदौर की जनता को बकाया जल कर भरने के लिए एक और मौका दिया है। निगम द्वारा इसके लिए 5 से 25 अगस्त तक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की जा रही है। इसमें बकायादार 50ज़ राशि जमा कर 50ज़ की छूट का लाभ ले सकते हैं। यह छूट सिर्फ बकाया राशि पर ही मिलेगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि सभी 19 झोनों और 85 वार्ड में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जगह-जगह शहर में शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। बकायादारों को यह मौका दिया जा रहा है कि वह बकाया जल कर की एकमुश्त आधी राशि जमा कर दे। इससे उनकी बची हुई आधी राशि माफ कर दी जाएगी। 25 अगस्त के बाद ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

560 करोड़ की रिकवरी करना है निगम को-इंदौर में पिछले 20 से 30 सालों तक का जलकर बकाया है। यह 560 करोड़ रु. है। इसकी रिकवरी के लिए नगर निगम 20 दिनों का विशेष अभियान चलाएगा। निगम द्वारा अगले साल से एक खाता, एक भुगतान की पॉलिसी के लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। इसमें लोगों को अलग-अलग टैक्स भरने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद वे एक सिंगल खाते से ही निगम के सारे बिल भर सकेंगे।

इंदौर के 40प्र. पुलिसकर्मी घुटने के दर्द से परेशान

30 फीसदी को कमर और गर्दन में तकलीफ

इंदौर। जनता की सुरक्षा के लिए दिनरात डटे रहने वाली पुलिस को भी बीमारियों ने घेर लिया है। शहर के 40 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को घुटनों में दर्द बना हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। रविवार को पलासिया स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन के मध्य प्रदेश चैप्टर के सहयोग से हड्डी और जोड़ दिवस के अवसर पर निश्शुल्क हड्डी रोग परामर्श शिविर आयोजित किया गया, जिसमें शहर के विशेषज्ञों ने पुलिसकर्मियों की जांच की। एसोसिएशन के अध्यक्ष और जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. साकेत जती ने बताया कि शिविर में करीब 350 पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्यों का परामर्श किया। इसमें करीब 275 पुलिसकर्मी शामिल है। इसमें 35 से 40 प्रतिशत में घुटनों में दर्द की समस्या सामने आई है। इसके अलावा 30 प्रतिशत में कमर और गर्दन दर्द की समस्या देखी गई है। वहीं 20 प्रतिशत में ऑस्टियोपोरोसिस पाया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण यह है कि पुलिस के पास अपनी देखभाल करने का समय नहीं है। हमें शिविर में जो रोगी मिले हैं, उनका उपचार किया जाएगा। पुलिस की ड्यूटी बहुत ही चुनौती पूर्ण है और वो दिन रात हमारे समाज की सुरक्षा के लिए संकल्पित रहते हैं। शिविर में डॉ. अरविंद रावल, डॉ. मिलिंद शाह, डॉ. विनय तन्तुवे, डॉ. अंकुश अग्रवाल, डॉ. अंकित थोरा, डॉ. विशाल यादव आदि द्वारा परामर्श दिया गया। साथ ही उनके उपचार के साथ समझाइश भी दी गई। इस दौरान एडिश्नल कमिश्नर मनोज कुमार श्रीवास्तव, रक्षित निरीक्षक दीपक कुमार पाटील आदि मौजूद रहे।

सीट बेल्ट कम करता है 45 प्रतिशत मौत की संभावना-एसोसिएशन द्वारा जागरूकता के लिए एक वीडियो संदेश भी बनाया गया है। जिसमें बताया गया कि सीट बेल्ट लगाने से एक्सीडेंट के दौरान 45 प्रतिशत मौत की संभावना कम हो जाती है। सीट बेल्ट लगाने से गंभीर चोट की संभावना भी 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है। वहीं आजकल यह देखा गया है कि मोबाइल का उपयोग भी वाहन चलाते समय अधिक किया जाने लगा है। इसके लिए बताया कि यदि हम हेंड फ्री फोन में बात करते हैं तो हमारा ध्यान 27 डिस्ट्रेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार गाड़ी चलाते समय फोन से संदेश भेजने से 37 प्रतिशत और हाथ में फोन रखे होने से 46 प्रतिशत होता है।

खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये अनेक विकास कार्य होंगे - मास्टर प्लान तैयार

कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

इंदौर, नप्र। शहर के प्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये अनेक विकास कार्य करवाये जाएंगे। इसके लिये मास्टर प्लान लगभग तैयार हो गया है। इस मास्टर प्लान को अंतिम रूप देकर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। खजराना गणेश मंदिर में आगामी 7 सितंबर से 10 दिनी गणेश चतुर्थी महोत्सव भी प्रारंभ होगा। इस महोत्सव में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा के लिए आज यहां खजराना गणेश मंदिर में प्रबंध समिति की बैठक कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारी और प्रबंध समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक में खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जाने वाले कार्यों के संबंध में तैयार किए गए मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा की गई।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)